न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 20/19 **सन् 2019**

RCMS NO-2019/00157

बउनवानीः–1. गोकुल पुत्र लक्ष्मीनारायण माली निवासी खिलचीपुर तह0व जिला सवाईमाधोपुर
2.सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण माली निवासी खिलचीपुर तह0व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामप्यारी पत्नि श्योजी माली निवासी बनेठा तह0 उनियारा जिला टोंक हाल निवासी छाबडी चौक आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर
2. धापू पत्नि कैलाश माली निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. मडी पुत्री प्रताप माली निवासी छाबडी चौक, आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर
4. कमली पत्नि ग्यारसी राम माली निवासी बनेठा तह0 उनियारा जिला टोंक
5. जगदीशी पत्नि हनुमान माली निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
6. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1632 निर्णय दिनांक 17.10.2019 वाके ग्राम खिलचीपुर, तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री राधेश्याम वैष्णव	वकील अपीलान्ट
2. सुश्री पदमिनी राठौड़	वकील रेस्पो.1,2,3,5
3. श्री रामजीलाल जाट	वकील रेस्पो. 4

–ः निर्णय ः– **दिनांक 16.3.2020**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 1632 निर्णय दिनांक 17.10.2019 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि मृतक गोरया पुत्र रामबक्स माली के कोई पुत्री नही थी मृतक गोरया ने अपने जीवनकाल मे मादया को विधिवत गांव के प्रमुख पंच पटेलो व जाति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने गोद लिया था तथा गोद की सारी रस्मे अदा की थी उसने नारियल पताशे बांटकर मादया को गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। मृतक गोरया की वृद्वावस्था मे देखभाल सेवा आदि मादया ने ही की थी तथा गोरया की मृत्यु के उपरान्त गंगाजी ले जाना तथा द्वाद्वशा इत्यादि क्रियाकर्म मादया ने ही किये थे तथा पगडी भी मादया के ही बंधी थी। मृतक गोरया की मृत्यु के उपरान्त मादया उसकी चल–अचल सम्पति पर काबिज रहा तथा मृतक गोरया की भूमि का नामा0 पटवारी हल्का ने जॉच कर मादया के नाम भरा गया जिसको ग्राम सभा मे ग्राम पंचायत ने जॉच के उपरान्त नामा0 संख्या 500 दिनांक 13.2.1972 को स्वीकृत किया था उसके उपरान्त मादया की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट के पिता लक्ष्मीनारायण के नाम विरासत का नामा0 स्वीकार किया तथा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि विरासत का नामा0 अपीलान्टान के नाम खोला गया। किन्तु रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा 46 वर्ष बाद अपीलान्ट को परेशान करने के उदेश्य से मृतक गोरया की फर्जी वारिस बनते हुए न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे अपील संख्या 19/18 पेश की थी उसी अन्तराल मे सन् 2011 मे रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने एक वाद संख्या 61/2011 पेश किया जो लंबित होते हुए उक्त वाद पत्र में अधिकार साक्ष्य आने के उपरान्त ही न्यायालय द्वारा तय किया जाना था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र की जानकारी होते हुए भी रेस्पो. संख्या 1 व 2 से साठ–गाठ कर उक्त नामा0 कार्यवाही जो कि समरी ट्रायल है मे गलत निर्णय दिनांक 24.9.2019 को पारित करवा लिया जिसकी अपील संख्या 121/2019 सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर में पेश की गयी जिसमे दिनांक 6.11.2019 को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.9.2019 की क्रियान्वति स्थगित कर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति दिनांक 24.12.2019 तक बनाये रखने का आदेश दिया गया है, किन्तु रेस्पो. ने तहसीलदार से मिलकर चुपचाप पटवारी हल्का पर दबाव बनाकर स्थगन की जानकारी होते हुए भी पिछली तारीख मे पटवारी हडताल के दौरान ही नामा0 तस्दीक करवाया है।

डॉ0 एस0 पी0 सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नामा0संख्या 1632 के कॉलम संख्या 16 में दावा व डिक्री की पालना मे खोलना बताया गया है जबकि उपजिला कलेक्टर न्यायालय के मु.न. 19/18 मे पारित निर्णय दिनांक 24.9.2019 की कोई डिक्री नही बनी है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि रेस्पो. मृतक गोरया की विधिक वारिस होने के कारण ही उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपील नामा0 संख्या 19/2018 मे दिनांक 24.9.2019 को रेस्पो. को मृतक गोरया के विधिक वारिस मानते हुए अपीलान्ट के पूर्वज मादया के नाम से खोला गया नामा0 500 दिनांक 13.2.1972 को खारिज कर उक्त नामा0 हम रेस्पो. नाम खोलने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश की पालना मे ही तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया अपीलान्ट द्वारा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 24.9.2019 के विरूद्व माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमे दिनांक 6.11.2019 को स्थगन दिया गया। अतः जब तक माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 24.9.2019 को खारिज नही किया जाता है तब तक आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1632 मे हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। जहॉ तक नामा0 के कॉलम संख्या 16 मे डिक्री शब्द अंकित होने का प्रश्न है तो यह केवल लेखन त्रुटि के कारण हुआ है जिसके आधार नामा0 निरस्त नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपील नामा0 संख्या 19/2018 मे दिनांक 24.9.2019 को रेस्पो. को मृतक गोरया के विधिक वारिस मानते हुए अपीलान्ट के पूर्वज मादया के नाम से खोला गया नामा0 500 दिनांक 13.2.1972 को खारिज कर उक्त नामा0 रेस्पो. के नाम खोलने के आदेश दिये गये है जिसकी पालना मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1632 दर्ज फैसल किया गया है तथा वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त नामा0 पटवारी हडताल अवधि मे दर्ज फैसल करने बाबत किया गया कथन इसलिए सही नही है क्योकि सवाईमाधोपुर तहसील के पटवारी दिनांक 4.11.2019 से 21.11.2019 तक हडताल पर रहे थे किन्तु उक्त नामा0 हडताल अवधि से पूर्व दिनांक 17.10.2019 को ही दर्ज फैसल किया जा चुका है। चूंकि उपजिला कलेक्टर न्यायालय की अपील संख्या 19/18 मे पारित निर्णय की पालना मे आदेश जैर अपील पारित किया गया है इसलिए केवल मात्र उक्त नामा0 संख्या 1632 के कॉलम संख्या 16 मे दावा,डिक्री शब्द अंकित हो जाने के आधार पर उक्त नामा0 को अवैध नही माना जा सकता है। इस प्रकार वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन मे ऐसा कोई विधिक साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर आदेश जैर अपील विधि विरूद्व साबित होता हो। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2020 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:10:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: